न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 366 / 2023

निर्णय दिनांक :– 08.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

कौशल्या देवी पत्नि समरथ सिंह जातिं सांसी निवासी नासिरदा, तहसील देवली, जिला–टॉक, राज०। **–प्रार्थीया–**

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी घाड तहसील दूनी, जिला–टोंक,राज० ।
2. टीकमचन्द पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी घाड़ तहसील दूनी, जिला–टोंक, राज०।
3. धनराज पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी घाड तहसील दूनी, जिला–टोंक, राज० ।
4. जसवन्त पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी घाड़ तहसील दूनी, जिला–टोंक, राज० ।
5. रामदेव पुत्र ग्यारसीलाल जाति रेगर निवासी घाड़ तहसील दूनी, जिला–टोंक, राज०।
6. छीतरलाल पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम गरणिया पो० घाड, तहसील दूनी, जिला–टॉक, राज०।
7. मौसमी देवी पत्नि छीतरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गरणिया पो० घाड़ तहसील दूनी, जिला–टोंक, राज०।

–प्रतिपक्षीगण–

–उपस्थिति –

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीया

श्री राजेश जैन
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया को खातेदारी को आराजी हाल ख. नं. 303 रकबा 3.03 है. वाके ग्राम घाड़ तहसील दूनी जिला टोक स्थित है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा है, प्रार्थीया ने उक्त खेत मे काफी पैसा खर्च कर कुंआ खुदवा रखा है जिस पर डीजल का इंजन भी रखा हुआ है। उक्त कुंए से प्रार्थीया अपनी खातेदारों के खेत को सिंचाई करती है और सिंचाई के लिऐ पाईप भी गाढ रखे है। उक्त कुंऐ के पास प्रार्थीया ने एक पक्का कमरे का भी निर्माण करवा रखा है जिसमे प्रार्थीया अपने खेती सम्बन्धित यंत्र जानवरो का चारा आदि रखती है । प्रतिपक्षीगण का उपरोक्त आराजियात से कोई सम्बन्ध नही है। उक्त भूमि उनकी खातेदारी मे भी नही है फिर भी उक्त लोग के कब्जे काश्त में फसल बोने व काटने में मजाहमत करते है, जिनका उनको कोई अधिकार नही है, प्रतिपक्षीगण को मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हे, झूठे मुकदमे में फंसने व कुऐं मे कूद कर जान देने की धमकी देते है, प्रार्थीया अकेली महिला है उनका मुकाबला करने में असमर्थ है, प्रार्थीया के उक्त कुंऐ से रात में पानी चोर कर ले जाते हे क्योकि प्रार्थीया ग्राम घाड़ मे नहीं रहती है। बल्कि ग्राम नासिरदा रहती है। और रोज अपने खातेदारी के खेतो को सम्भालने जाती है । प्रार्थीया ने अपने खातेदारी के खेत मे ज्वार व मूंगफली की फसल कुछ बीघा खेत

काश्त कर रखी है जिसे प्रतिपक्षीगण काटकर व खोदकर ले गये जिसकी रिपोर्ट दिनाक 28–9–2023 को थाना घाड़ पर की थी उनके द्वारा कार्यवाही नही की गयी उसके बाद पुनः दिनाक 3–10–2023 को भी थाना घाड पर दी थी उस पर भी कार्यवाही नही की गई । प्रार्थीया के खेत खाली होने के बाद प्रार्थीया ने अपने खातेदारी के खेत में सरसो की फसल बो दी थी लेकिन दिनांक 4–10–2023 को भी सभी प्रतिपक्षीगण ने मिलकर छीतरलाल मीणा के ट्रेक्टर से प्रार्थीया को सरसो की फसल को पलट दिया जिसको रिपोर्ट भी प्रार्थीया द्वारा दिनांक 7–10–2023 को धाना घाड़ में दी थी उस पर कोई कार्यवाही नही की गयी । उक्त फसल बोने के बाद प्रार्थीया ने पुनः सरसो की फसल बोई हे जो एक एक फिट जमीन के उपर उग गयी है। प्रार्थीया अपने खेत से उक्त सरसो को फसल को पिलाई करने जाती है तो प्रतिपक्षी गण लड़ाई झगडा करते हे पुलिस द्वारा मुलजिमान के खिलाफ कोई नहीं कार्यवाही करने के कारण प्रार्थीया को मजबूर होकर उक्त वाद बाबत स्थायी निषेद्याज्ञा पेश करना पड रहा है। इसलिये प्रतिपक्षीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं, जरिये एजेन्ट, नोकर, चाकर पारिवारिक व्यक्ति रिश्तेदार के माध्यम से प्रार्थीया के खातेदारी के खेत मे फसल बोने, व फसल काटने, खेतो के उपयोग उपभोग मे तथा कुरे से खेतो को पानी पिलाने में किसी प्रकार की मजामहत या बाधा उत्पन्न नही करे ओर ताफैसलावाद पाबन्द रहे । प्रार्थीया गरीब काश्तकार पेशा महिला है, प्रतिपक्षीगण का मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिये प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है कि यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीया अपने जायज हको मे महरूम हो जायेगी। अतः प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद इस अमर से पाबन्द किया जावे कि वह स्वंय, जरिये ऐजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से आराजी ख. नं. 303 रकबा 3.03 है0 वाके ग्राम घाड़ तहसील दूनी मे प्रार्थीया के खातेदारी के खेत मे, फसल बोने, फसल काटने, खेतो के उपयोग उपभोग तथा कुंऐ से खेतो को पानी पिलाने में किसी प्रकार को मजाहमत या बाधा उत्पन्न नही करे और पाबन्द रहे ।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश जैन ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है। शेष इबारत जिस तरह से वर्णित की गई गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 303 रकबा 3.03 है0 ग्राम घाड़ मे होना स्वीकार है। इस भूमि पर कब्जा काश्त विगत 31 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 5 एवं उसके परिवार का चला आ रहा है जिस पर अप्रार्थीगण ने सन् 2018 मे जगदीश पुत्र हीरा नाथ से कुआं खुदवाया है। कुएं की खुदवाई का पैसा 3,65,000/–रूपये अप्रार्थीगण के द्वारा दिये गये है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार

रही है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया ग्राम नासिरदा मे निवास करती है जो ग्राम घाड़ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। प्रार्थीया एवं उसके पति ने साज कर उक्त भूमि का विकय पत्र का पंजीयन सन् 2023 मे करवाया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के हक मे हुये दोनो विकय पत्र को निरस्त करने का वाद माननीय सिविल न्यायाधीश दूनी के यहां पेश कर रखा है। मोके पर अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास करते है जिसके लिये उन्होने खेत पर ही टीन शेड के कमरे का निर्माण करवा रखा है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पर कभी भी प्रार्थीया का कब्जा नही रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 आंशिक स्वीकार है, शेष गलत है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया ने थाना घाड़ मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध ज्वार व मूंगफली की फसल को चोरी कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमे थाना घाड़ द्वारा प्रार्थीया की रिपोर्ट को झूठा मानकर तथा प्रार्थीया के द्वारा फसल काश्त करना साबित नही हुआ इसके आधार पर पुलिस थाना घाड़ द्वारा अदम वकू झूठ मे एफ. आर. न्यायालय मे पेश की थी। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 पूर्णतया गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि पर कभी भी प्रार्थीया का कब्जा नही रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा वर्तमान मे भी अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर सरसो, गैहूँ व सब्जी की फसल काश्त कर रखी है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया ने इस चरण मे वर्णित नही किया कि उसके द्वारा फसल किस व्यक्ति से काश्त करवायी गई। विशेष आपतियां:— वास्तविकता यह है कि उक्त आराजी सोजी पुत्र हरदेवा जाति चमार निवासी घाड़ को दिनांक 04.12.1975 को आवंटित की गई थी जिसके साबिक खसरा नम्बर 289/1/6 थे तथा इसी प्रकार रामबक्श पुत्र हरदेवा चमार को भी साबिक खसरा नम्बर 289/1/7 मे भूमि आवंटित हुई थी उसके पश्चात दिनांक 26.06.1992 को अप्रार्थी संख्या 5 ने सोजी व रामबक्श के हिस्से की जमीन इकरार नामा के द्वारा खरीद कर ली जिसकी लिखावट सोजी व रामबक्श से 5–5 रूपये के स्टाम्प पर लिखवाकर गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर जमीन पर कब्जा प्राप्त कर सोजी को 3,750/—रूपये व रामबक्श को 3,750/—रूपये अदा कर दिये थे उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 5 ने दिनांक 14.11.2018 को 3,65,000/—रूपये खर्च कर भूमि पर कुआं खुदवाया है। प्रार्थीया ने जो भूमि खरीद करना बताया है उसमे कही भी कुएं का अंकन नही है। प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया है कि कुआं उसके द्वारा खुदवाया गया है परन्तु प्रार्थीया ने कुआं किसके द्वारा खुदवाया, कितने पैसे खर्च हुये इस बात का अंकन नही किया है। प्रार्थीया ग्राम घाड़ मे निवास नही करती है, ना ही कभी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा रहा है इस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम दृष्टया खातेदार हुं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है

और उसमें मेंरा कब्जा है। यदि अप्रार्थीगण ने पूर्व में जरिये इकरारनामा क्रय किया था तो स्पेशिक परफोर्मेन्स में जाना चाहिए था। अभी वाद दूनी न्यायालय में विचाराधीन है। 30 वर्ष पूर्व की लिखा पढी होने से खातेदार नहीं हो जाते है। अधिवक्ता वादी ने सम्मानित दृष्टान्त आरआटी 2022–23 व 2016–17 पेश कर निवेदन किया है कि इन दृष्टान्तो से स्पष्ट है कि यदि खातेदारो को कोई परेशानी है तो टी. आई जारी की जा सकती है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर ना तो अभी कब्जा है और न ही पहले कभी था । प्रार्थीगण बता रहे है कि विवादित आराजी पर कुंआ है तो किसने खुदवाया है, कोई दस्तावेज पेश नही किये है। 2018 के एग्रीमेंट से कुआ मैन खुदवाया हैऔर मेरे जवाब का कोई काउन्टर जवाब प्रार्थीगण ने नहीं दिया है। विवादाग्रस्त भूमि खरीदने से अधिकार नहीं मिलते है। पजेशन स्पष्ट करना होगा। सिविल कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। दिनांक 28.09.23 को एफआईआर मेंरे खिलाफ हुई थी, मुझे दोषी नहीं माना है। कोई दस्तावेज सायल द्वारा पेश नहीं किये गये है। यदि रिकॉर्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखी जावे तो मुझे कोई आपति नहीं है। अन्यथा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया ।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय करने के लिए मुख्य तीन बिन्दूओं का विवेचन आवश्यक है, जो इस प्रकार हैः–

प्रथम दृष्टया मामलाः– पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम घाड़ की जमाबन्दी संवत 2073–76 के ख. नं. 303 रकबा 3.03 है0 पर प्रार्थीया खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। ख. नं. 303 के पुराने ख. नं. 860 रकबा 3.03 है0 मिलान क्षेत्रफल से दर्शित है ख. नं. 860 रकबा 3.03 है0 के साबिक ख. नं0 289/1/7 रकबा 10 बीघा मिलान क्षेत्रफल से दर्शित है। प्रार्थीया विवादित आराजी की आज राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु विवादित आराजी के लिए प्रार्थीया ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीया का विवादित आराजी व उस पर स्थित कुंए पर काबिज हो या कब्जा चला आ रहा हो। क्योंकि पत्रावली पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 26.06.1992 से ख. नं. 289/1/7 रकबा 10 बीघा का बेचान श्योजीराम व रामबस पुत्र हरदेवा चमार ने रामदेवा पुत्र ग्यारसा रेगर देवतवाल सा. घाड़ को बेचान किया हुआ है। इसी तरह अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर एक 100 रूपये का स्टाम्प कुंआ खुदवाने का भी अप्रार्थीगण के पिता के द्वारा लिखवाया हुआ है। जिससे प्रथम दृष्टया विवादित आराजी पर प्रार्थीया का ही कब्जाकाश्त साबित नहीं होता है । प्रार्थीया द्वारा पत्रावली में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफआईआर संख्या 0248/2023 पुलिस थाना घाड़ में दर्ज होने सम्बन्धी छायाप्रति पेश की है परन्तु उस एफआईआर

ा अन्तिम निस्तारण क्या रहा, इसके सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा **का** सन्तुलन एवं अपूरणीय **क्षति का** बिन्दूः— प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है। उक्त दोनो बिन्दूओ के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया विवादित आराजी पर अपना कब्जाकाश्त साबित करने में असफल रही । जब विवादित आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा साबित नहीं है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया को नही हो रही है।

आदेश

उक्तानुसार बिन्दूवार विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मुल दावे के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 08.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली